

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बीस'

[6/12/2016]

मध्यप्रदेश संज्ञा [क. 1194]

वित्त विभाग

मंत्रालय

परिशिष्ट - 1

क्र. एफ-4/6, 2002/नियम/चार
प्रति.

भापाल, दिनांक 21 सितम्बर, 2003

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश।

उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को सुविधायें एवं क्षतिपूर्ति भत्ता स्वीकृत करने के संबंध में।

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग के जाप क्रमांक एफ.आर.-17-01/96/चार/ब-9 दिनांक 11-03-1996 द्वारा अनुसूचित क्षेत्र विशेष भत्ते के आदेश प्रसारित किये गये हैं।

वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्रों पर विचारोंपरंतु राज्य शासन द्वारा वित्त विभाग के उक्त जाप दिनांक 10-03-1996 द्वारा स्वीकृत अनुसूचित क्षेत्र विशेष भत्ते को दरों को निम्नानुसार पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया है:-

अनुसूचित क्षेत्र भत्ते को दरें

वर्तन श्रेणी	क्षेत्र वर्ग -1	क्षेत्र वर्ग-2	क्षेत्र वर्ग-3
तक्य 2600	120	80	40
तक्य 2601 = 3000	130	120	60
तक्य 3001 = 4600	240	160	80
तक्य 4601 = 5900	300	200	100
तक्य 5901 = 7100	360	240	120
तक्य 7101 = 10,000	450	300	150
तक्य 10,000 से अधिक	600	400	200

इन आदेशों के अंतर्गत देय अनुसूचित क्षेत्र भत्ता सलग्न परिशिष्ट अ अनुसार वर्गीकृत विकास खण्डों में देय होगा।

अनुसूचित क्षेत्र भत्ता केवल ऐसे अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवकों को प्राप्त होगा जो नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र से 5 किलोमीटर एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र से 3 किलोमीटर की दूरी पर है।

अनुसूचित क्षेत्र भत्ते की गणना के लिये वेतन से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में निर्धारित प्राप्त मूल वेतन से है।

मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के अंतर्गत विद्यमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को भी अनुसूचित क्षेत्र भत्ते का भत्ता निर्धारित प्रतिबंधों एवं शर्तों के अधीन होगा। इन कर्मचारियों के लिये उपयुक्त अनुसूचित क्षेत्र भत्ते की गणना हेतु वेतन के प्रयोजन हेतु विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन व व्यक्तिक वेतन (यदि हो, तो), औसत मूल्य सूचकांक 1510 पर देय महंगाई भत्ता (जो कि वित्त विभाग के जापन क्रमांक एफ.आर. 17/4/96/चार/ब-9 दिनांक 23-4-1996 अनुसार स्वीकृत किया गया है एवं अंतरिम राहत को प्रथम एवं द्वितीय किशत (जो कि वित्त विभाग के जाप क्रमांक एफ.आर. 17/3/95/चार/ब-9 दिनांक 20-10-1993 एवं आर 17/3/95/चार/ब-9 दिनांक 11-8-1995 के अनुसार स्वीकृत को गई है) को शामिल किया जाना है।

य आदेश पृ.जो.सो. एवं ए.आई.सो.टी.डी. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सेवा के सदस्यों पर भी लागू होगा।


अनुसूचित क्षेत्र भत्ते को यह दरें दिनांक 1 अगस्त 2003 (ज्यांत माह अगस्त, 2003 का वेतन जो सितम्बर 2003 में देय है) से प्रभावशाली होगी।

यह सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अंतर्गत देय अनुसूचित क्षेत्र भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के लिये स्वीकृत बजट प्रावधान के अधिक न हो।

अनुसूचित क्षेत्रों में उपलब्ध अन्य सुविधायें पूर्ववत् रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार



(पौ.सौ. वर्मा)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग



अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
वित्त विभाग

परिशिष्ट-2
विकास खण्डों का वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी के विकास खण्ड

क्र.	जिला	विकास खण्ड
1	मण्डला	मण्ड
2	डिंडोरा	बजाग नेहचानो

द्वितीय श्रेणी के विकास खण्ड

1	बतल	भामपुर
2	मंडला	महगाव सुवरी नारायणगंज
3	डिंडोरा	अमरपुर समनापुर करजिया
4	छिंदवाडा	हरड विष्टुआ नानिय
5	सतथा	कुसुमा
6	धार	गंधवानी डोडा बाकानेर
7	झाबुआ	कठोवाडा नाडवा
8	खरगान	मगवानपुरा
9	बडवानी	नाटा

तृतीय श्रेणी के विकास खण्ड

1	बतल	चिचाला आठनेर घंडाडीपरी
2	हरागाबाद	कसला
3	रवापुर	कराहल
4	रतलाम	वाजना
5	मंडला	बिछिया निवास बोलाडांडी
6	डिंडोरा	डिंडोरा शाहपुरा
7	बालाघाट	परसवाडा बिरसा
8	सिवनी	कुरड घंसोर
9	छिंदवाडा	नामड
10	अनूपपुर	पुष्पराजगढ
11	उमरिया	पाला
12	धार	नालछा बाग निसरपुर तिरला धरमपुरी
13	झाबुआ	राना राणापुर बादला जांबट उदयपुर मध्यनगर भामरा
14	खरगान	झरन्या सगौब भाकनागंध गागांधा
15	बडवानी	पानसमल राजपुर

Handwritten signature